

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक शीडर/2017/2530

दिनांक - 14.11.17

प्रार्थीगण  
1 भोजराजसिंह 2 मजेसिंह पिसरान  
जांबतसिंह जाति राजपूत निवासी  
लेगो की ढाणी तहसील व जिला  
बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 दुदाराम पुत्र दुर्गाराम 2 मेहराराम पुत्र  
मोतीराम 3 गुसराम पुत्र पनाराम 4  
रूपाराम पुत्र बागाराम 5 गुलाराम पुत्र  
रुगनाथ 6 बनाराम पुत्र लाधाराम जाति  
जाट निवासी लेगो की ढाणी तहसील व  
जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 2210/2016

दिनांक- 14.11.17

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लेगो की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला  
बाड़मेर के खसरा संख्या 368 रकबा 122.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।  
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी  
नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर  
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे

एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा  
किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक-14.11.17

क्रमांक :- शीडर/2017/2531-34  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य  
अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय  
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. भोजराजसिंह पुत्र जांबतसिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी लेगो की ढाणी तहसील  
व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी दुदाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरह जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी तहसील व  
जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर